



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

16 फरवरी 2026

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(उधार लेना तथा उधार देना\) \(प्रथम संशोधन\) विनियमावली, 2026](#) जारी की है। संशोधित विनियमावली ने, पात्र उधारकर्ता और मान्यताप्राप्त ऋणदाता आधार का विस्तार, उधार सीमा का युक्तिकरण और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंध, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी-ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।

2. उक्त विनियमावली, [3 अक्टूबर 2025 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित विनियमावली के मसौदे पर हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से शामिल कर, जांच करने के बाद जारी की गई है। प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों पर बैंक की प्रतिक्रिया [अनुलग्नक](#) में है।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2127

(ब्रिज राज)  
मुख्य महाप्रबंधक